

बिहार सरकार
 योजना एवं विकास विभाग
 अधि०स० यो०स्था०१/१-२७/२०१८-१५२ /यो०वि०,पटना,दिनांक २० फरवरी, २०१९
 अधिसूचना

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-३एम०-२८/९९-४३८५वि०(२) दिनांक २५.०३.२००३ के द्वारा परिचारित बिहार राज्य सुनिश्चित वृत्ति योजना नियमावली-२००३ के नियम-७ एवं सकल्प संख्या-३एम०-२पे०पु०-१८/२००९-७५६६ दिनांक १४.०७.२०१० के द्वारा दिनांक ०१.०१.२००९ के प्रभाव से प्रभावी रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-२०१० के नियम-४ के आलोक में योजना एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों को वित्तीय उन्नयन के लाभ के स्वीकृति के मामले पर विचार हेतु पूर्व में गठित स्क्रीनिंग समिति (अधिसूचना संख्या-१०२७ दिनांक २८.०२.२०१८) को अवक्रमित करते हुए विभागीय स्क्रीनिंग समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1	प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में नामित पदाधिकारी	सदस्य
3	संबंधित सेवा के स्थापना के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
4	आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
5	संबंधित स्थापना के कनीय प्रभारी पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना	संयोजक
6	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी	सदस्य
7	योजना एवं विकास विभाग द्वारा नामित अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी	सदस्य

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापक
 प्रतिलिपि- यो०स्था०१/१-२७/२०१८-१५२ /यो०वि०,पटना,दिनांक २० फरवरी, २०१९
 वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापक
 प्रतिलिपि- यो०स्था०१/१-२७/२०१८-१५२ /यो०वि०,पटना,दिनांक २० फरवरी, २०१९
 आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, योजना एवं विकास विभाग, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/अपर निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय, पटना/संयुक्त निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्सद, पटना/उप निदेशक, (मुख्यालय स्थापना), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापक
 प्रतिलिपि- यो०स्था०१/१-२७/२०१८-१५२ /यो०वि०,पटना,दिनांक २० फरवरी, २०१९
 अधीक्षक, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को (सी०डी० के साथ) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/सभी पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव